उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 02/2015–16

हराधन राय ..... आवेदक

बनाम

अखिलेश्वर यादव एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

10/05/2016 यह रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 02/2015–16 हराधन राय, पे0 स्व0 निताई राय, मौजा कुरूवा विरना, अंचल जरमुंडी के द्वारा सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 60 के अन्तर्गत दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक का कहना है कि उन्हें मौजा कुरूवा विरना के प्रधान पद पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत पी0ए0 वाद सं0 657/2006–07 आदेश दिनांक 19.06.2008 से निम्न न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध में विपक्षी द्वारा इस न्यायालय में रे0मि0 अपील सं0 60/2008–09 दायर किया गया। इसपर दिनांक 04.08.2015 को सुनवाई हेतु अंतिम अवसर दिया गया था, किन्तु उक्त तिथि को आवेदक के अनुपस्थित रहने एवं उनके अधिवक्ता के अचानक बीमार पड़ जाने के कारण एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया गया जिसमें आवेदक के दावों पर विचार नहीं किया गया तथा निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील को पुनर्विचार हेतु निम्न न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। उनके द्वारा रे0मि0 अपील सं0 60/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2015 को सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 60 के अन्तर्गत पुनरीक्षण (Review) हेतु अनुरोध किया गया है।

मैंने रे0मि0 अपील वाद सं0 60/2008–09 में पारित आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन किया। अभिलेख के आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 28.07.2015 को उभय पक्षों को अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 04.08.2015 को सुनवाई हेतु निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को न तो आवेदक स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उनके अधिवक्ता ही उपस्थित हुए। साथ ही उनके ओर से न तो लिखित बहस और न ही अपने दावों के समर्थन में कोई कागजात ही न्यायालय में दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा एक पक्षीय सुनवाई कर अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अंतिम अवसर दिये जाने के पश्चात भी आवेदक का न्यायालय में उपस्थित न होना तथा उनके द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का कागजात दाखिल नहीं

किया जाना, उनके द्वारा वाद में अभिरूचि का अभाव दर्शाया गया है। फलतः एक पक्षीय सुनवाई कर अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया। ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन पर पुनः किसी प्रकार का विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।